न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंधव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 495/प्रार्थना–पत्र/2018
(मि0नं0 810/दावा/2018, दायरा दि0 18/07/18)

उनवान

गोपाल पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी खेरखेड़ा तह0 खानपुर

— वादी/अप्रार्थी

बनाम्

1. गोबरीलाल पुत्र रत्तीलाल जाति गुर्जर निवासी खेरखेड़ा तह0 खानपुर
2. देवलाल पुत्र रत्तीलाल जाति गुर्जर निवासी खेरखेड़ा तह0 खानपुर
3. प्रभूलाल पुत्र गजानंद जाति गुर्जर निवासी खेरखेड़ा तह0 खानपुर
4. नन्दकुवंरबाई पत्नि रामकल्याण जाति गुर्जर निवासी खेराली तह0 खानपुर
5. कालीबाई पत्नि भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी रामगढ़ तह0 किशनगंज जिला बारां
6. श्याणीबाई पत्नि छोटूलाल जाति गुर्जर निवासी शेरगढ़ तह0 अटरू जिला बारां
7. भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन विभाग, वृहद परवन सिंचाई परियोजना झालावाड़
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, खानपुर

— प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0
वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश धनौलिया अधिवक्ता – प्रार्थी/प्रतिवादी 4, 5, 6
श्री लेखराजसिंह चंद्रावत अधिवक्ता – अप्रार्थी/वादी

निर्णय

दिनांक 26/09/2019

प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 4, 5, 6 ने यह प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के अर्न्तगत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी द्वारा पेश किया गया वाद कानून के विरूद्ध है जो खारिज होने योग्य है। वादी व प्रतिवादीगण 4, 5, 6 सगे भाई बहिन हैं आराजी में इनका हिस्सा बराबर है। उक्त आराजी डूब क्षैत्र में आ गयी है और भू अवाप्ति अधिकारी ने वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की आराजी के चैक मुआवजा राशि के भुगतान हेतू काटे थे और वादी ने तो अपना चैक पटवारी से प्राप्त कर लिया लेकिन वादी के मन में बेईमानी आ गयी और प्रतिवादीगण के चैक रूकवा दिये जो कानूनन गलत है। जब वादी को अवार्ड राशि के संबंध में कोई पीड़ा नहीं है क्योंकि उसने अपने चैक प्राप्त कर लिये हैं। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा कानून के अनुसार अवार्ड पारित किया गया तथा इस अवार्ड को वादी ने स्वीकार कर लिया और अपना चैक प्राप्त कर लिया और अवार्ड को कहीं भी चुनौती नहीं दी है। इस अवार्ड को चुनौती माननीय न्यायालय में नहीं दी जा सकती, ऐसा माननीय न्यायालय की अधिकारिता का नहीं है। वाद खारिज होने योग्य है। आराजी अब रेवेन्यू लेण्ड की नहीं रही है। राजस्थान राज्य उसकी खातेदार हो गयी है। ऐसे वाद को सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड को चुनौती दिये बगैर और उसको निरस्त कराये बगैर मौजूदा वाद पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी को दिलायी गयी। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने दिनांक 03.04.19 से लगभग 8 अवसर के बाद भी प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया। दिनांक 17.09.2019 को अधिवक्ता उभय पक्ष की सहमति से प्रार्थना–पत्र पर सीधे ही बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रति0 4, 5, 6 ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि वादी द्वारा पेश किया गया वाद कानून के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। वादी व प्रतिवादीगण 4, 5, 6 सगे भाई बहिन हैं तथा आराजी में इनका बराबर–बराबर हिस्सा है। यह आराजी परवन वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षैत्र में आ गयी है और भू अवाप्ति अधिकारी ने वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की आराजी के मुआवजा राशि चैक के भुगतान हेतू काटे दिये हैं। वादी ने तो अपना चैक पटवारी से प्राप्त कर लिया, लेकिन वादी के मन में बेईमानी आ गयी और यह वाद पेश कर प्रतिवादीगण के चैक रूकवा दिये जो कानूनन गलत है। यहां वादी को अवार्ड राशि के संबंध में कोई पीड़ा नहीं है क्योंकि उसने अपने चैक प्राप्त कर लिये हैं। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा विधिनुसार अवार्ड पारित किया गया तथा इस अवार्ड को वादी ने स्वीकार कर अपना चैक प्राप्त कर लिया और वादी ने अवार्ड को कहीं भी चुनौती नहीं दी है। इस अवार्ड को चुनौती माननीय न्यायालय में नहीं दी जा सकती और यह माननीय न्यायालय की अधिकारिता में भी नहीं है। वादी का वाद खारिज होने योग्य है। आराजी अब रेवेन्यू लेण्ड की नहीं रही है। राजस्थान राज्य उसकी खातेदार हो गयी है। ऐसे वाद को सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। वादी अर्जन, पुनर्वासन का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 64 के अन्तर्गत जिला कलक्टर को चुनौती देवे। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड को चुनौती दिये बगैर और उसको निरस्त कराये बगैर मौजूदा वाद पोषणीय नहीं है। अतः हमारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रकट किया कि हम काश्कारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद लाये हैं, जो माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षैत्र का है। हमारा वाद बार्ड बाई लॉ है। प्रार्थीगण/ प्रतिवादी ने प्रार्थना–पत्र ही गलत पेश किया है, जो खारिज होने योग्य होने से खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 4, 5, 6 ने आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि वादी का वाद विधि से वर्जित होने से खारिज किया जावे। वादी ने अपने वाद की मद नं0 4 में अंकित किया है कि " वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी मृतक जगन्नाथ रत्तीलाल गजानंद के खाते दर्ज थी, जिसमें से 1/2 हिस्सा वादी के पिता जगन्नाथ के नाम तथा कब्जे काश्त में व 1/2 हिस्सा में रत्तीराम गजानंद का नाम दर्ज रेकार्ड था तथा इसी अनुसार कब्जे काश्त करते आये हैं।" इस प्रकार वादी को वादग्रस्त आराजी में स्थित अपने हिस्से अंकित होने का ज्ञान भली प्रकार है। यह वाद की मद नं0 4 में फिर उल्लेख करते हैं कि " जगन्नाथ रत्तीराम गजानंद की मृत्यु होने के बाद उनके स्थान पर उनके वारिसान का नाम खाते दर्ज किया गया, खाते में नाम दर्ज करते समय सहवन से राजस्व रेकार्ड में हिस्सा दर्ज किया जाना रह गया, बिना हिस्सा का अंकन किये बिना सभी का नाम दर्ज कर दिया गया।" ग्राम खेरखेड़ा की जमाबंदी सं0 2071–74 की खाता सं0 31 की 13 किता रकबा 35.03 बीघा में गोपाल पिता जगन्नाथ, नंदकुवंर कालीबाई श्याणीबाई पिता जगन्नाथ जाति गूजर हि0बरा0 सा0देह खातेदार दर्ज है, इस जमाबंदी में यह स्पष्ट है कि सभी खातेदारान का बराबर–बराबर का हिस्सा है। अर्थात खातेदारान के हिस्से बिलकुल स्पष्ट हैं। इस प्रकार वाद की यह दोनों मद विरोधाभासी हैं।

वादी ने अपने वाद की मद नं0 5 में उल्लेख किया है कि " जमाबंदी के अवलोकन से यह ज्ञान नहीं होता की किस सहखातेदार का कितना हिस्सा बनता है। आराजी वृहद परवन सिंचाई परियोजना के तहत आवाप्त की गई है तथा उसका मुआवजा राशि अदा की जानी है, इसलिये खाते में सही हिस्सा दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

की विशेष कथन की मद नं0 1, 2 एवं प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 में अंकित किया है कि मुआवजा राशि के चैक जारी हो चुके हैं। वादी ने अपने हिस्से की मुआवजा राशि का चैक पटवारी से प्राप्त कर लिया है और यह हम प्रतिवादी के चैक भी प्राप्त करना चाहता है, इस कारण वादी ने यह वाद पेश कर हमारे चैक रूकवा दिये हैं। अप्रार्थी/वादी ने इसका खण्डन नहीं किया है। अर्थात वादग्रस्त आराजी परवन वृहद सिंचाई परियोजना में अवाप्त हो चुकी है तथा अवार्ड जारी होकर चैक इशु हो चुके हैं।

वादी ने वाद की मद नं0 6 में उल्लेख किया है कि प्रति0नं0 4, 5, 6 ने अपने हिस्से का वादी के पक्ष में हक त्याग कर कब्जा वादी को सम्भला रखा है। इसलिये वादी इनके हिस्से की आराजी पर खातेदार टीनेंट घोषित होने योग्य है। वादी ने इस संबंध में कोई लिखित एवं मौखिक साक्ष्य वाद के साथ पेश नहीं किया है। वहीं प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने जवाब एवं प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 में हक त्याग से इंकार किया है।

वादी ने वाद की मद नं0 7 में अंकित किया है कि उक्त आराजी का मुआवजा राशि मुताबिक रेकार्ड वितरित किया जाना है, आराजी डूब जाने के कारण प्रति0नं0 4, 5, 6 की सेहत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडने वाला नहीं है, जबकि वादी का सम्पूर्ण हित प्रभावित होगा। प्रतिवादीगण बहलाने फुसलाने में आ गई है तथा सम्पूर्ण मुआवजा बाला बाला ही ले जाने पर आमादा है, जबकि उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यहां यह स्पष्ट हो चुका है कि वादी अपने हिस्से की मुआवजा राशि का चैक प्राप्त कर चुका है। ऐसे में उसका कोई हित प्रभावित नहीं होगा, यह स्पष्ट है। प्रति0नं0 4, 5, 6 वादग्रस्त आराजी की सह खातेदार हैं। ऐसे में वह अपने हिस्से की आराजी का मुआवजा प्राप्त करने पूरा अधिकार है।

वादी ने वाद की मद नं0 8 में अंकित किया है कि प्रतिवादीगण यदि ऐसा करते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन द्रव्य में संम्भव नहीं हो सकेगा। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। यहां यह स्पष्ट हो चुका है कि वादी अपने हिस्से की मुआवजा राशि का चैक प्राप्त कर चुका है तो उसको क्षति होने का प्रश्न ही नहीं है। ऐसे में वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

वादी ने वाद की मद नं0 10 में अंकित किया है कि "वाद कारण दिनांक 01.07.2018 को उक्त वाद के तथ्यों की जानकारी वादी को प्राप्त होने पर उत्पन्न हुआ है" यहां वादग्रस्त आराजी में सहखातेदारान के हिस्से स्पष्ट हैं, शेष खातेदारान/प्रति0 1, 2, 3 ने इस संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। वादी ने वाद में वर्णित हक त्याग के कथन के संबंध में कोई लिखित एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया है। वहीं प्रतिवादीगण 4, 5, 6 इसके कथन से इन्कार करते हैं। साथ ही वादी स्वंय अपने हिस्से की मुआवजा राशि का चैक पटवारी से प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार वादी द्वारा वाद में वर्णित उपरोक्त सभी तथ्य असत्य एवं बेबुनियाद हैं तो उक्त दिनांक 01.07.2017 को वाद कारण उत्पन्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जब वादी को वाद कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ है तो वादी का वाद चलने योग्य नहीं है।

यहां उपरोक्त विवेचन से भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि वादी CLEAN HAND से वाद लेकर नहीं आया है। प्रकरण में वादग्रस्त आराजी का अवार्ड जारी हो चुका है तथा वादी अपना चैक भी प्राप्त कर चुका है। वादी ने महज प्रतिवादीगण के हिस्से की मुआवजा राशि रूकवाने एवं उसे प्राप्त करने की चेष्ठा के लिये ही यह वाद पेश किया है। यहां प्रार्थी/प्रति0नं0 4, 5, 6 वादग्रस्त आराजी की सहखातेदार हैं तथा इन्हे कानूनन अपना अवार्ड (मुआवजा राशि) प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार है। ऐसे में वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। यदि वादी को प्रति0 4, 5, 6 के द्वारा मुआवजा राशि प्राप्त करने पर आपत्ति है तो उसे भूमि अर्जन, पुनर्वासन का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय/अधिकारी में अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिये। ऐसे में हम

उपखण्ड अधिकारी
कानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

यहां प्रार्थना–पत्र प्रार्थी / प्रतिवादी को स्वीकार करना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी / प्रति0नं0 4, 5, 6 अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 जा0दी0 1908 स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद खारिज / अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 26/09/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)